न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 119/2025 (GCMS : 2025/128)

1. **मनीष कुमार** पुत्र दलीप कुमार जाति बिश्नोई निवासी 60 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

बनाम

1. **अजीत गोदारा, उपजिलाधीश, पदमपुर** जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
2. **दलीप कुमार** पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी 60 एलएनपी रिड़मलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
3. **दिनेश कुमार** पुत्र दलीप कुमार जाति बिश्नोई निवासी 60 एलएनपी रिड़मलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
4. **प्रेम** पुत्र राम प्रताप जाति बिश्नोई निवासी 60 एलएनपी रिड़मलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
5. **ओम प्रकाश** पुत्र राम प्रताप जाति बिश्नोई निवासी 60 एलएनपी रिड़मलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
6. **सतपाल** पुत्र राम प्रताप जाति बिश्नोई निवासी 60 एलएनपी रिड़मलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
7. **कौशल्या देवी** पुत्री रामप्रताप पत्नी रामफुल पूनियां जाति बिश्नोई निवासी नारायणपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का–152116, पंजाब
8. **सोना देवी** पुत्री रामप्रताप पत्नी बंसीधन जाति बिश्नोई निवासी 10 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पदमपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12.11.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजेश गुम्बर एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 8 की ओर से श्री सुरेश अरोड़ा उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आरटीएक्ट उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के समक्ष विचाराधीन है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी ने 60 एलएनपी के खाता संख्या 10 मुरबा नम्बर 21, 61, 66 की कुल 7.843 है. नहरी बारानी मय खाला में से 1/4 हिस्सा व चक 59 एलएनपी खाता संख्या 23 मु.न. 13 में 0.296 है. नहरी व खाता संख्या 93 मु.नं. 13 में 0.506 है. नहरी का 1/6 हिस्सा व चक घमण्डिया खाता संख्या 121 मु.नं. 60 में 2.024 है बारानी का 1/3 हिस्सा वादी को 1/3 हिस्सा का खातेदार मालिक घोषित करने का सहायक कलक्टर न्यायालय में पेश किया हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:39:18 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण अत्यधिक राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्ति है जिनके द्वारा अपने राजनैतिक सम्बन्धों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रकरण में निर्णय को प्रभावित करने के लिए समय समय पर प्रयास किये जा रहे है और अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी के कार्यालय के पास देखा गया है और

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण एलानियां कहा है कि मेरी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है। पीठासीन अधिकारी, अप्रार्थीगण के प्रभाव में है और प्रार्थी को न्याय मिलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इसलिए प्रार्थी के प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में 2022(1) DNJ (Rev.) 480 & 2022(1) DNJ (Rev.) 41 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं, शामिल पत्रावली है।

इसके विपरीत अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय के पास देखा गया है किन्तु प्रार्थी ने यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि उनके द्वारा **किस अप्रार्थी को तथा कब देखा** गया है। प्रार्थीगण प्रकरण को देरी करने के लिए झूठे तथ्यों के आधार पर प्रकरण पेश किया है। इसलिए यह मुंतकिली प्रार्थना खारिज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण 2022 से लम्बित है जबकि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की Proceeding एक संक्षिप्त कार्यवाही है, जिसे 30 दिवस में पूर्ण किया जाना अपेक्षित होता है। परन्तु प्रार्थी द्वारा जानबूझ कर लम्बा किया जा रहा है। इस प्रकार प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के सक्षम नहीं आया है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण कभी भी पीठासीन अधिकारी से नहीं मिले है। अप्रार्थीगण और प्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। अप्रार्थीगण का पीठासीन अधिकारी पर कोई राजनैतिक प्रभाव नहीं है। प्रार्थी ने यह प्रकरण देरी करने के कारण ही पेश किया है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुंतकिली खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने प्रार्थना पत्र पर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा प्रार्थी द्वारा लगाये गये सभी आरोप निराधार/बेबुनियाद/तथ्यहीन एवं सारहीन बताया है। फिर भी प्रार्थी का प्रकरण अन्य किसी सक्षम न्यायालय में मुन्तकिली किया जाता है उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:39:18 IST
Reason: SelfAttested

मैनें, अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पाया कि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायलाय में धारा 53, 88, 92ए एवं 188 राजस्थान [redacted] तकारी अधिनियम का प्रकरण संख्या 407/2022 एवं धारा 212 आरटीए का प्रकरण संख्या 141/2022 पेश किया हुआ है। **धारा 212 आरटीए में प्रार्थी ने एकपक्षीय स्थगन प्राप्त किया हुआ है और अन्यत्र मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।**

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी में द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। इस न्यायालय को धारा 53, 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 212 आरटीए के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नहीं करना है, अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही,?

प्रार्थी मनीष कुमार द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया गया है कि पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव होने के कारण उन्हें निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। प्रार्थी द्वारा यह आरोप केवल मात्र कयास के आधार पर लगाया है। अगर वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव होने सम्बन्धी कथन, यदि तर्क के लिए मान भी लिया जावे तो ऐसा प्रभाव होने सम्बन्धी आरोप जिले के अन्य सक्षम पीठासीन अधिकारियों पर भी लगाया जा है। मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा लगाया गया आरोप साधारण प्रकृति का है जो कभी भी किसी पर किसी भी समय लगाया जा सकता है। बिना किसी पुष्ट साक्ष्य के अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद को किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निणर्य की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:39:18 IST
Reason: SelfAttested